सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आपणो गरिमा आपणो मान
निर्मल राजस्थान

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4 ( ) परावि / स्व.भा.मि.(ग्रा.) / NGP VERI / 61 / 2015–16 / 1221 जयपुर, दिनांक : 9/7/15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद
जिला समस्त

विषय :– खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का अन्तर्जिला सत्यापन।
संदर्भ :– विभागीय पत्र क.1175 दिनांक 2.7.2015

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतें के अन्तर्जिला सत्यापन हेतु अन्तर्जिला सत्यापन टीमों के गठन हेतु जिले आवंटित कर दिये गये हैं।

- उक्त आदेश के कालम 2 में वर्णित जिले में अन्तर्जिला सत्यापन कार्य किया जाना है। इसलिए जिला स्तर पर सत्यापन की टीम का गठन दिनांक 20 जुलाई 2015 तक अवश्य सुनिश्चित करें।
- सत्यापन टीम (20सदस्य) में मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, राज्य संदर्भ व्यक्ति, जिला संदर्भ व्यक्ति, स्वतंत्र प्रशिक्षक, निर्मल ग्राम पंचायतों के पुरस्कृत सरपंच, जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं प्रेरक आदि को उपलब्धता के आधार पर शामिल किया जा सकता है।
- भारत सरकार द्वारा ओ.डी.एफ. की परिभाषा (संलग्न – क), निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु अंकों के आधार पर जारी प्रपत्र जिसमें निर्मल ग्राम पंचायतों के मापदण्ड का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है (संलग्न–ख), उक्त बिन्दुओं के साथ टीम के सदस्यों का आमुखीकरण कराया जावे।
- सत्यापन हेतु टीमें नियत तिथि को सम्बन्धित सत्यापन करवाने वाले जिले के जिला कलक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दिशा–निर्देश प्राप्त करें, उसके बाद ही सत्यापन हेतु ग्राम पंचायतों के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करें।
- सत्यापित कराने वाले जिले द्वारा टीम के सदस्यों के लिए जिला / ब्लॉक स्तर पर आवास,वाहन आदि की व्यवस्था की जावे एवं सन्दर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार मानदेय व अन्य भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

अतः भविष्य में जिन जिलों के द्वारा खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का सत्यापन करवाया जाना हो तो अपने जिले के नाम के कॉलम के आगे अंकित जिले के जिला कलक्टर से सम्पर्क कर टीम का गठन करवाकर तत्काल सत्यापन रिपोर्ट विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(श्रवण कुमार बुनकर)
निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
सी.सी.डी.यू. (स्वच्छता), पंचायती राज विभाग, राजस्थान फोन– 0141 2227802 ईमेल:rajpr.dirccdu-rj@nic.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलक्टर,जिला समस्त
2. अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
3. जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन जिला परिषद समस्त ।

निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)